भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872

)1872 का अधिनियम संख्यांक 15(

[18 जुलाई, 1872]

**क्रिश्चियन के विवाहों के भारत में
अनुष्ठापन सेसम्बन्धित विधि
का समेकन और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम**

उद्देशिका—यह समीचीन है कि क्रिश्चियन धर्म मानने वाले व्यक्तियों के विवाहों के भारत में अनुष्ठापन से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन किया जाए ; अत: निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 है ।

विस्तार—[1][इसका विस्तार [3][उन राज्यक्षेत्रों के,] [2][सिवाय] सम्पूर्ण भारत पर है [2][[3][जो 1 नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व] ट्रावनकोर-कोचीन, मणिपुर और [4]*** [3][राज्यों में समाविष्ट थे] ।][5]

[6]* * * * *

2. [अधिनियमितियां निरसित ।]—निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 तथा अनुसूची के भाग 1 द्वारा निरसित ।

3. निर्वचन खंड—इस अधिनियम मेa, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,—

"इंग्लैण्ड का चर्च" और "एंगलिकन" से विधि द्वारा स्थापित इंग्लैण्ड का चर्च अभिप्रेत है और वे उसे लागू होते हैं ;

"स्काटलैण्ड का चर्च" और "एंगलिकन" से विधि द्वारा स्थापित स्काटलैण्ड का चर्च अभिप्रेत है ;

"रोम का चर्च" और "रोमन कैथोलिक" से वह चर्च अभिप्रेत है जो रोम के पोप को उसका आध्यात्मिक प्रमुख मानता है और वे ऐसे ही चर्च को लागू होते हैं ;

"चर्च" के अन्तर्गत कोई चैपल या सार्वजनिक क्रिश्चियन उपासना के लिए साधारणतया प्रयोग में आने वाला अन्य भवन है ;

[7]["भारत" से [8][वे राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन] पर इस अधिनियम का विस्तार है ;]

"अवयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और जो विधुर अथवा विधवा नहीं है ;

[9]* * * * *

"क्रिश्चियन" पद से क्रिश्चियन धर्म मानने वाले व्यक्ति अभिप्रेत हैं ;

---

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 और विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा संशोधित दूसरे पैरे के स्थान पर विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[टिप्पण: यह अधिनियम मणिपुर राज्य को विस्तारित नहीं हुआ, देखिए, 1956 के अधिनियम सं० 68 की धारा 2 द्वारा संशोधित 1950 के अधिनियम सं०30 की धारा 3(2क) और अनुसूची । यह अधिनियम, 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा दादरा और नागर हवेली को (1-7-1965 से) विस्तारित और प्रवृत्त किया गया ।]

[2] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "भाग ख राज्यों के सिवाय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] विधि अनुकूलन आदेश, 1956 द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 2019 के अधिनियम सं० 34 की धारा 95 और पांचवी अनुसूची द्वारा (31-10-2019 से) "जम्मू-कश्मीर" शब्दों का लोप किया गया ।

[5] पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र को लागू होने पर धारा 1 के अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा (देखिए 1968 का अधिनियम सं० 26) :— "परन्तु इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात पांडिचेरी के संघ राज्यक्षेत्र के रनोसाओं को लागू नहीं होगी" ।

[6] 1874 के अधिनियम सं० 16 की धारा 1 और अनुसूची, भाग 1 द्वारा प्रारम्भ खण्ड का निरसन ।

[7] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित ।

[8] विधि अनुकूलन (संख्यांक 2) आदेश, 1956 द्वारा "राज्यों में समाविष्ट राज्यक्षेत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[9] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "देशी राज्य" की परिभाषा का निरसन ।

www.LinkingLaws.com

[1][और "भारतीय क्रिश्चियन" पद के अन्तर्गत क्रिश्चियन धर्म में संपरिवर्तित भारत के मूल निवासियों के क्रिश्चियन वंशज और ऐसे धर्म में संपरिवर्तित व्यक्ति भी हैं ;

[2][**"जन्म, मृत्यु और विवाह का महारजिस्ट्रार"** से जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 (1886 का 6) के अधीन नियुक्त जन्म, मृत्यु और विवाह का महारजिस्ट्रार अभिप्रेत है ।**]**

भाग 1

वे व्यक्ति, जिनके द्वारा विवाह अनुष्ठापित कराए जा सकते हैं

4. अधिनियम के अनुसार विवाहों का अनुष्ठापन—ऐसे व्यक्तियों के बीच, जिनमें से कोई एक क्रिश्चियन है या दोनों ही क्रिश्चियन [3]**[हैं]**, प्रत्येक विवाह ठीक अगली धारा के उपबन्धों के अनुसार अनुष्ठापित कराया जाएगा, और ऐसे उपबन्धों से अन्यथा अनुष्ठापित कराया गया विवाह शून्य होगा ।

5. वे व्यक्ति, जिनके द्वारा विवाह अनुष्ठापित कराए जा सकते हैं—[4][भारत] में निम्नलिखित द्वारा विवाह अनुष्ठापित कराए जा सकते है,—

(1) उस व्यक्ति द्वारा, जो धर्माध्यक्ष द्वारा अभिषिक्त है, परन्तु यह तब जब वह विवाह ऐसे चर्च के जिसका वह पुरोहित है, नियमों, धार्मिक कृत्यों, कर्मकांडों और रूढ़ियों के अनुसार, अनुष्ठापित कराया जाए ;

(2) स्काटलैण्ड के चर्च के किसी पादरी द्वारा, परन्तु यह तब जब वह विवाह स्काटलैण्ड के चर्च के, नियमों, धार्मिक कृत्यों, कर्मकांडों और रूढ़ियों के अनुसार, अनुष्ठापित कराया जाए ;

(3) विवाहों को अनुष्ठापित कराने के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त किसी धर्मपुरोहित द्वारा ;

(4) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी विवाह रजिस्ट्रार द्वारा या उसकी उपस्थिति में ;

(5) किसी व्यक्ति द्वारा, जो [5][भारतीय] क्रिश्चियनों के बीच विवाहों के प्रमाणपत्र देने के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त है ।

[6]**[6. विवाहों के अनुष्ठापन के लिए अनुज्ञप्तियों का दिया जाना और प्रतिसंहरण**—राज्य सरकार, जहां तक उसके प्रशासन के अधीन राज्यक्षेत्रों का सम्बन्ध है [7]***, ऐसे राज्यक्षेत्रों [8]*** के अन्दर विवाहों का अनुष्ठापन कराने के लिए राजपत्र में [9]*** अधिसूचना द्वारा धर्म-पुरोहितों को अनुज्ञप्तियां, प्रदान कर सकेगी, और उसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा, ऐसी अनुज्ञप्तियां प्रतिसंहृत कर सकेगी ।**]**

7. विवाह रजिस्ट्रार—राज्य सरकार, अपने प्रशासन के अधीन किसी जिले के लिए, एक या अधिक क्रिश्चियनों को, या तो नाम से या उस समय किसी पद धारक के रूप में, विवाह रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी ।

वरिष्ठ विवाह रजिस्ट्रार—जहां किसी जिले में एक से अधिक विवाह रजिस्ट्रार हैं वहां राज्य सरकार उनमें से एक को वरिष्ठ विवाह रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी ।

मजिस्ट्रेट का विवाह रजिस्ट्रार होना—जब किसी जिले में एक ही विवाह रजिस्ट्रार है, और वह रजिस्ट्रार उस जिले से अनुपस्थित है, या बीमार है, या उसका पद अस्थायी रूप से रिक्त है, तब, ऐसी अनुपस्थिति, बीमारी या अस्थायी रिक्ति के दौरान, उस जिले का मजिस्ट्रेट, उस जिले का विवाह रजिस्ट्रार होगा और उस रूप में कार्य करेगा ।

8. [भारतीय राज्यों में विवाह रजिस्ट्रार ।]— विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा निरसित ।

9. भारतीय क्रिश्चियनों के बीच विवाह के प्रमाणपत्र देने के लिए व्यक्तियों का अनुज्ञापन—राज्य सरकार [10]*** किसी क्रिश्चियन को, या तो नाम से या उस समय किसी पद-धारक के रूप में, उसे [5][भारतीय] क्रिश्चियनों के बीच विवाह के प्रमाणपत्र देने के लिए प्राधिकृत करते हुए, अनुज्ञप्ति दे सकेगी ।

ऐसी कोई भी अनुज्ञप्ति उस प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंहृत की जा सकेगी जिसके द्वारा वह दी गई थी और ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति का दिया जाना या प्रतिसंहरण राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ।

---

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा मूल परिभाषा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1866 के अधिनियम सं० 6 की धारा 30 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[3] 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 और अनुसूची 2 द्वारा अन्त: स्थापति (यह पाद-टिप्पण अंग्रेजी के पाद-टिप्पण के कारण बनाया गया है) ।
[4] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "भाग क राज्यों और भाग ग राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "देशी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1891 के अधिनियम सं० 2 की धारा 1 द्वारा मूल धारा 6 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा संशोधित "और केन्द्रीय सरकार, जहां तक किसी भारतीय राज्य का संबंध है" शब्दों का विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा निरसन ।
[8] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "और राज्य, क्रमश:" शब्दों का निरसन ।
[9] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "या, यथास्थिति, भारत के राजपत्र में" शब्दों का निरसन ।
[10] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा संशोधित "या (जहां तक भारतीय राज्य का संबंध है) केन्द्रीय सरकार" शब्दों का विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा निरसन ।

www.LinkingLaws.com

भाग 2

वह समय और स्थान जहां विवाह अनुष्ठापित किए जा सकते हैं

10. विवाह अनुष्ठापित कराने का समय—इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक विवाह प्रात:काल छह बजे से सांय:काल सात बजे के बीच अनुष्ठापित कराया जाएगा :

अपवाद—परन्तु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

(1) इंगलैण्ड के चर्च के किसी पादरी को, जो डायोसीस के ऐंगलिंकन बिशप या उसके कमीसरी के हस्ताक्षर से और मुद्रायुक्त किसी ऐसी विशेष अनुज्ञप्ति के अधीन विवाह अनुष्ठापित कराता है, जो उसे प्रात:काल छह बजे और सांय:काल सात बजे के बीच के समय के अलावा किसी भी समय ऐसा करने के लिए अनुज्ञात करती है, अथवा

(2) सांय:काल सात बजे से प्रात: छह बजे के बीच विवाह अनुष्ठापित कराने वाले रोम के चर्च के पादरी को, जब उसे उस डायोसीस या विकेरियट के, जिसमें ऐसा विवाह इस प्रकार अनुष्ठापित कराया गया है, रोमन कैथोलिक बिशप से, या ऐसे व्यक्ति से, जिसे उस बिशप ने ऐसी अनुज्ञप्ति देने के लिए प्राधिकृत किया है, कोई साधारण या विशेष अनुज्ञप्ति प्राप्त हो गई है, [1][अथवा

(3) स्काटलैण्ड के चर्च के ऐसे पादरी को, जो स्काटलैण्ड के चर्च के नियमों, धार्मिक कृत्यों, कर्मकाण्डों और रूढ़ियों के अनुसार कोई विवाह अनुष्ठापित कराता है **]**।

11. विवाह अनुष्ठापित कराने का स्थान—इंग्लैण्ड के चर्च का कोई पादरी किसी ऐसे स्थान में विवाह अनुष्ठापित नहीं कराएगा, जो उस चर्च से भिन्न है, [2]**[**जहां साधारणतया इंग्लैण्ड के चर्च की विधियों के अनुसार उपासना की जाती है**],**

जब तक कि निकटतम मार्ग से उस स्थान से पांच मील की दूरी के भीतर [2][ऐसा] कोई चर्च न हो, अथवा

जब तक कि उसे डायोसीस के ऐंग्लिंकन बिशप या उसके कमीसरी के हस्ताक्षर से और मुद्रायुक्त ऐसी विशेष अनुज्ञप्ति न प्राप्त हो गई हो जो उसे वैसा करने के लिए प्राधिकृत करती हो ।

विशेष अनुज्ञप्ति के लिए फीस—ऐसी विशेष अनुज्ञप्ति के लिए डायोसीस का रजिस्ट्रार ऐसी अतिरिक्त फीस प्रभारित कर सकेगा जिसे उक्त विशप समय-समय पर प्राधिकृत करे ।

भाग 3

इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त धर्म पुरोहितों द्वारा अनुष्ठापित विवाह

12. आशयित विवाह की सूचना—जब कभी इस अधिनियम के अधीन विवाहों का अनुष्ठापन कराने के लिए अनुज्ञप्त किसी धर्म पुरोहित द्वारा किसी विवाह का अनुष्ठापन आशयित हो, तब,—

विवाह का आशय रखने वाले व्यक्तियों में से एक, इससे उपाबद्ध अनुसूची 1 में दिए गए प्ररूप के अनुसार, या उसी आशय की, लिखित सूचना उस धर्म पुरोहित को देगा जिससे वह विवाह का अनुष्ठापन कराना चाहता है या चाहती है, और उसमें निम्नलिखित बातें लिखी जाएंगी,—

(क) विवाह का आशय रखने वाले व्यक्तियों में से प्रत्येक का नाम और अधिनाम, तथा उसकी वृत्ति या दशा ;

(ख) उनमें से प्रत्येक का निवास-स्थान;

(ग) वह अवधि जिसके दौरान प्रत्येक वहां रहा है ; और

(घ) वह चर्च या प्राइवेट निवास-स्थान जहां विवाह अनुष्ठापित किया जाना है :

परन्तु यदि ऐसे व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति, सूचना में उल्लिखित स्थान पर एक मास से अधिक तक रह चुका है तो, उसमें यह लिखा जाना चाहिए कि वह वहां एक मास या उससे अधिक तक रह चुका है या रह चुकी है ।

13. ऐसी सूचना का प्रकाशन—यदि विवाह का आशय रखने वाला व्यक्ति यह चाहता है कि विवाह अमुक चर्च में अनुष्ठापित किया जाए, और यदि वह धर्म पुरोहित जिसे वह सूचना दी गई है, उस चर्च में स्थानापनन्न रूप से कार्य करने का हकदार है तो वह सूचना को उस चर्च के किसी सहजदृश्य भाग में लगवा देगा ।

सूचना का वापस लिया जाना या अन्तरित किया जाना—किन्तु यदि वह उस चर्च में पुरोहित के रूप में स्थानापन्न रूप में कार्य करने का हकदार नहीं है तो वह उस सूचना को, अपने विकल्प पर, या तो उस व्यक्ति को वापस कर देगा जिसने वह सूचना दी थी,

---

[1] 1891 के अधिनियम सं० 2 की धारा 2 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[2] 1891 के अधिनियम सं० 2 की धारा 3 द्वारा अन्त:स्थापित ।

www.LinkingLaws.com

या उसे उस चर्च में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के हकदार किसी अन्य पुरोहित को परिदत्त कर देगा, जो तत्पश्चात् उस सूचना को यथापूर्वोक्त लगवा देगा ।

14. आशयित विवाह निजी निवास स्थान में करने की सूचना—यदि यह आशयित है कि विवाह किसी निजी निवास स्थान में अनुष्ठापित कराया जाए तो धर्म पुरोहित, धारा 12 में विहित सूचना की प्राप्ति पर, उसे उस जिले के विवाह रजिस्ट्रार को भेज देगा जो उसे अपने ही कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर लगवा देगा ।

15. जब एक पक्षकार अवयस्क हो तब सूचना की प्रति का विवाह रजिस्ट्रार को भेजा जाना—जब विवाह का आशय रखने वाले व्यक्तियों में से कोई एक अवयस्क है तब प्रत्येक पुरोहित, जिसे वह सूचना प्राप्त होती है, यदि वह उसे उसकी प्राप्ति के पश्चात् चौबीस घंटों के भीतर धारा 13 के उपबंधों के अधीन वापस नहीं कर देता, उस सूचना की एक प्रति, डाक से या अन्य प्रकार से, उस जिले के विवाह रजिस्ट्रार को, या यदि उस जिले में एक से अधिक रजिस्ट्रार हैं तो वरिष्ठ विवाह रजिस्ट्रार को, भेज देगा ।

16. सूचना की प्राप्ति पर प्रक्रिया—यथास्थिति, विवाह रजिस्ट्रार या वरिष्ठ विवाह रजिस्ट्रार, ऐसी किसी सूचना की प्राप्ति पर, उसे अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर लगवा देगा, और वरिष्ठ विवाह रजिस्ट्रार उस सूचना की एक प्रति उसी जिले के अन्य विवाह रजिस्ट्रारों में से प्रत्येक को भी भिजवा देगा जो उसे ऊपर निर्दिष्ट रीति से वैसे ही प्रकाशित करेंगे ।

17. दी गई सूचना और की गई घोषणा के प्रमाणपत्र का जारी किया जाना—कोई धर्म पुरोहित, जो यथापूर्वोक्त किसी विवाह का अनुष्ठापन कराने के लिए सहमत है या कराने का आशय रखता है, उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से, जिसके द्वारा सूचना दी गई थी, वैसा करने की अपेक्षा की जाने पर, और इसमें इसके पश्चात् अपेक्षित घोषणा विवाह का आशय रखने वाले व्यक्तियों से एक के द्वारा की जाने पर, अपने हस्ताक्षर से इस आशय का एक प्रमाणपत्र जारी करेगा कि वह सूचना दी गई थी और वह घोषणा की गई थी :

परन्तुक—परन्तु—

(1) ऐसा कोई प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक उक्त पुरोहित द्वारा सूचना की प्राप्ति की तारीख के पश्चात् चार दिन न समाप्त हो जाएं ;

(2) तभी जबकि ऐसा प्रमाणपत्र क्यों न दिया जाए इस बारे में उसका समाधान करने वाली कोई विधिपूर्ण अड़चन दिखाई न गई हो ; और

(3) तभी जबकि उस प्रमाणत्र का जारी किया जाना, उस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, इसमें इसके पश्चात्-वर्णित रीति से, निषिद्ध न कर दिया गया हो ।

18. प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व घोषणा—धारा 17 में वर्णित प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक विवाह का आशय रखने वाले व्यक्तियों में से कोई एक पुरोहित के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न हुआ हो और उसने निष्ठापूर्वक यह घोषणा न की हो,—

(क) कि उसका विश्वास है कि उक्त विवाह में रक्त संबंध या विवाह संबंध की कोई अड़चन या अन्य विधिपूर्ण बाधा नहीं है,

और जब दोनों में से कोई एक या दोनों ही अवयस्क हों, तब,

(ख) कि, यथास्थिति, उस विवाह के लिए विधि द्वारा अपेक्षित सहमति या सहमतियां प्राप्त कर ली गई हैं या यह कि भारत में निवासी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे ऐसी सहमति देने का प्राधिकार है ।

19. पिता, या संरक्षक, या माता की सहमति—किसी अवयस्क का पिता, यदि वह जीवित है तो, या यदि पिता की मृत्यु हो गई है तो ऐसे अवयस्क के शरीर का संरक्षक, और यदि कोई संरक्षक नहीं है तो ऐसे अवयस्क की माता उस अवयस्क के विवाह की सहमति दे सकती है,

और उस विवाह के लिए इसके द्वारा ऐसी सहमति अपेक्षित है, किन्तु उस दशा में नहीं होगी जब ऐसी सहमति देने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति भारत में निवासी न हो ।

20. प्रमाणपत्र जारी करने की सूचना द्वारा प्रतिशेध करने की शक्ति—प्रत्येक व्यक्ति जिसकी विवाह के लिए सहमति धारा 19 के अधीन अपेक्षित है, इसके द्वारा इस बात के लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी पुरोहित द्वारा प्रमाणपत्र के लिए जाने का प्रतिषेध, उस पुरोहित को उस प्रमाणपत्र को जारी करने से पहले किसी भी समय, ऐसी लिखित सूचना देकर कर सकता है, जिस पर इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उसके नाम के हस्ताक्षर किए गए हों, और उसके रहने के स्थान का तथा विवाह का आशय रखने वाले व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति की उस दशा का उल्लेख किया गया हो, जिसके कारण वह यथापूर्वोक्त प्राधिकृत किया गया है या की गई है ।

21. सूचना की प्राप्ति पर प्रक्रिया—यदि उस पुरोहित द्वारा ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो वह अपना प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगा और उक्त विवाह तब तक अनुष्ठापित नहीं कराएगा जब तक वह उक्त प्रतिषेध सम्बन्धी मामले की जांच नहीं कर लेता और उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि विवाह का प्रतिषेध करने वाले व्यक्ति को ऐसा प्रतिषेध करने का कोई विधिमान्य प्राधिकार नहीं है ।

www.LinkingLaws.com

या जब तक उक्त सूचना उस व्यक्ति द्वारा वापस नहीं ले ली जाती जिसमें सूचना दी थी ।

22. अवयस्कता के मामले में प्रमाणपत्र का जारी किया जाना—जब विवाह का आशय रखने वाले व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति अवयस्क है, और पुरोहित का यह समाधान नहीं हुआ है कि उस व्यक्ति की सहमति प्राप्त हो गई है जिसकी उस विवाह के लिए सहमति धारा 19 द्वारा अपेक्षित है तब वह पुरोहित ऐसा प्रमाणपत्र, विवाह की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् चौदह दिन की समाप्ति तक जारी नहीं करेगा ।

23. भारतीय क्रिश्चियनों को प्रमाणपत्र जारी करना—जब कोई [1][भारतीय] क्रिश्चियन, जिसका विवाह होने वाला है, विवाह की सूचना किसी पुरोहित के पास ले जाता है, या उस पुरोहित से धारा 17 के अधीन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करता है तब वह पुरोहित, प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व, यह अभिनिश्चय करेगा कि उस [1][भारतीय] क्रिश्चियन को, यथास्थिति, उक्त सूचना या प्रमाणपत्र के आशय और प्रभाव की समझ है या नहीं है तो [1][भारतीय] क्रिश्चियन के समक्ष उस सूचना या प्रमाणपत्र का अनुवाद ऐसी भाषा में, जिसे वह समझता है, करेगा या कराएगा ।

24. प्रमाणपत्र का प्ररूप—ऐसे पुरोहित द्वारा जारी किए जाने वाला प्रमाणपत्र इससे उपाबद्ध अनुसूची 2 में दिए गए प्ररूप में, अथवा उसी आशय के प्ररूप में, होगा ।

25. विवाह का अनुष्ठापन—पुरोहित द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात्, उसमें उल्लिखित व्यक्तियों के बीच विवाह का अनुष्ठापन ऐसी रीति या कर्मकांड के अनुसार किया जा सकेगा जिसे अपनाना वह पुरोहित ठीक समझे :

परन्तु विवाह पुरोहित के अलावा कम से कम दो साक्षियों की उपस्थिति में अनुष्ठापित किया जाएगा ।

26. यदि विवाह दो मास के भीतर अनुष्ठापित नहीं कराया जाता तो प्रमाणपत्र का शून्य होना—जब कभी किसी पुरोहित द्वारा यथापूर्वोक्त जारी किए गए प्रमाणपत्र की तारीख के पश्चात् दो मास के भीतर विवाह अनुष्ठापित नहीं करा दिया जाता तब वह प्रमाणपत्र और तत्सम्बन्धी सभी कार्यवाहियां (यदि कोई हों) शून्य हो जाएंगी ;

और कोई भी व्यक्ति उक्त विवाह के अनुष्ठापन की कार्रवाई तब तक नहीं करेगा जब तक नई सूचना नही दे दी जाती और उसका प्रमाणपत्र पूर्वोक्त रीति से जारी नहीं कर दिया जाता ।

भाग 4

धर्म पुरोहितों द्वारा अनुष्ठापित विवाहों, का रजिस्ट्रीकरण

27. विवाह कब रजिस्टर किए जाएं—ऐसे व्यक्तियों के बीच, जिनमें से एक या दोनों ही क्रिश्चियन धर्म मानते हैं, [2][भारत] में इसके पश्चात् अनुष्ठापित सभी विवाह, इस अधिनियम के भाग 5 या भाग 6 के अधीन अनुष्ठापित विवाहों को छोड़कर, इसमें इसके पश्चात् विहित रीति से, रजिस्टर[3] किए जाएंगे ।

28. इंग्लैंड के चर्च के पादरियों द्वारा अनुष्ठापित विवाहों का रजिस्ट्रीकरण—इंग्लैण्ड के चर्च का प्रत्येक पादरी विवाहों का एक रजिस्टर रखेगा और उसमें इससे उपाबद्ध अनुसूची 3 में दिए गए सारणी-प्ररूप के अनुसार, ऐसे प्रत्येक विवाह को रजिस्टर करेगा जिसे वह उस अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित कराए ।

29. आर्चडिकनरी को तिमाही विवरणियां—इंग्लैण्ड के चर्च का प्रत्येक पादरी ऐसे स्थान में, जहां उसका आध्यात्मिक प्रभार है, अनुष्ठापित विवाहों के रजिस्टर की प्रविष्टियों की विवरिणयां, जो उसके हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जाएंगी, दो प्रतियों में, उस आर्चडिकनरी के रजिस्ट्रार को, जिसके वह अधीन है या जिसकी सीमाओं के भीतर वह स्थान स्थित है, प्रतिवर्ष चार बार भेजेगा ।

विवरणियों का अंतर्विषय—ऐसी तिमाही विवरणियों में, उक्त रजिस्टर में की प्रति वर्ष क्रमश: जनवरी के प्रथम दिन से मार्च के इकतीसवें दिन तक, अप्रैल के प्रथम दिन से जून के तीसवें दिन तक, जुलाई के प्रथम दिन से सितंबर के तीसवें दिन तक, और अक्तूबर के प्रथम दिन से दिसम्बर के इकतीसवें दिन तक की विवाह की सभी प्रविष्टियां होंगी और उक्त पादरी, ऊपर विनिर्दिष्ट तिमाहियों में से प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से दो सप्ताह के भीतर, भेजेगा ।

उक्त रजिस्ट्रार उन विवरणियों की प्राप्ति पर उसकी एक-एक प्रति [4][जन्म, मृत्यु और विवाह के महारजिस्ट्रार] को भेजेगा ।

30. रोम के चर्च के पादरियों द्वारा अनुष्ठापित विवाहों का रजिस्ट्रीकरण और उनकी विवरणियां—रोम के चर्च के पादरी द्वारा अनुष्ठापित प्रत्येक विवाह उस डायोसिस या विकेरियट के, जहां वह विवाह अनुष्ठापित किया गया हो, रोमन कैथोलिक बिशप द्वारा निदिष्ट व्यक्ति द्वारा और ऐसे बिशप द्वारा उस निमित्त निदिष्ट प्ररूप के अनुसार रजिस्टर किया जाएगा,

और ऐसा व्यक्ति ठीक पूर्वगामी तीन मास के दौरान उसके द्वारा रजिस्टर किए गए सभी विवाहों की प्रविष्टियों की विवरणियां, प्रति तिमाही, [4][जन्म, मृत्यु और विवाह के महारजिस्ट्रार] को भेजेगा ।

---

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "देशी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "भाग क राज्य या भाग ग राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] जन्म, मृत्यु और विवाह के साधारण रजिस्ट्री कार्यालय की स्थापना के बारे में देखिए जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 (1886 का 6), अध्याय 2 ।

[4] 1886 के अधिनियम सं० 6 की धारा 30 द्वारा "स्थानीय सरकार के सचिव" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

www.LinkingLaws.com

31. स्काटलैंड के चर्च के पादरियों द्वारा अनुष्ठापित विवाहों का रजिस्ट्रीकरण और उनकी विवरणियां—स्काटलैंड के चर्च का प्रत्येक पादरी विवाहों का एक रजिस्टर रखेगा,

और उसमें, इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची 3 में दिए गए सारणी-प्ररूप के अनुसार, ऐसे प्रत्येक विवाह को रजिस्टर करेगा जिसे वह इस अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित कराए,

और, स्काटलैंड के चर्च के सीनियर चैपलेन की मार्फत, [1][जन्म, मृत्यु और विवाह के महारजिस्ट्रार] को ऐसे सभी विवाहों की, धारा 29 में विहित विवरणियों जैसी विवरणियां, प्रति तिमाही भेजेगा ।

32. कुछ विवाहों का दो जगहों पर रजिस्टर किया जाना—धर्माध्यक्ष द्वारा अभिषिक्त किसी व्यक्ति द्वारा, जो इंग्लैंड के चर्च का, या रोम के चर्च का पादरी नहीं है, या विवाहों का अनुष्ठापन कराने के लिए इस अधिनियम द्वारा अनुज्ञप्त किसी धर्म पुरोहित द्वारा, अनुष्ठापित प्रत्येक विवाह, उसके अनुष्ठापन के तुरन्त पश्चात् विवाह का अनुष्ठापन कराने वाले व्यक्ति द्वारा दो जगहों पर रजिस्टर किया जाएगा ; (अर्थात्) उसके द्वारा उस प्रयोजन के लिए, इससे उपाबद्ध अनुसूची 4 में दिए गए प्ररूप के अनुसार रखी गई विवाह रजिस्टर पुस्तक में, और विवाह रजिस्टर पुस्तक में प्रतिपर्ण के रूप में संलग्न प्रमाणपत्र में भी, रजिस्टर किया जाएगा ।

33. ऐसे विवाहों की प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें अनुप्रमाणित करना—प्रमाणपत्र और विवाह रजिस्टर पुस्तक दोनों में ही ऐसे विवाह की प्रविष्टि पर, विवाह अनुष्ठापित कराने वाले व्यक्ति द्वारा और विवाहित व्यक्तियों द्वारा भी, हस्ताक्षर किए जाएंगे, और विवाह अनुष्ठापित कराने वाले व्यक्ति से भिन्न दो विश्वसनीय साक्षियों द्वारा, जो उसके अनुष्ठापन में उपस्थित हों, अनुप्रमाणित किए जाएंगे ।

ऐसी प्रत्येक प्रविष्टि, पुस्तक के आरम्भ से लेकर अन्त तक, क्रमबद्ध रूप में की जाएगी और प्रमाणपत्र का संख्यांक वही होगा जो विवाह रजिस्टर पुस्तक में प्रविष्टि का है ।

34. प्रमाणपत्र का विवाह रजिस्ट्रार को भेजा जाना, उसकी प्रतिलिपि का बनाया जाना, और उसे महारजिस्ट्रार को भेजा जाना—विवाह का अनुष्ठापन कराने वाला व्यक्ति प्रमाणपत्र को विवाह रजिस्टर पुस्तक में से तत्काल अलग कर देगा और उसे, विवाह अनुष्ठापन के समय से एक मास के भीतर, उस जिले के विवाह रजिस्ट्रार का, जिसमें विवाह अनुष्ठापित किया गया था, और यदि विवाह रजिस्ट्रार एक से अधिक हों तो वरिष्ठ विवाह रजिस्ट्रार को, भेज देगा ;

जो उस प्रयोजन के लिए उसके पास रखी पुस्तक में उस प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि कराएगा ;

और उन सभी प्रमाणपत्रों को, जो उसे मास के दौरान प्राप्त हुए हैं, उन पर वह संख्यांक डालकर और हस्ताक्षर या आद्यक्षरित करके, जो इसमें इसके पश्चात् अपेक्षित हैं, [1][जन्म, मृत्यु और विवाह के महारजिस्ट्रार] को भेज देगा ।

35. प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियों का दर्ज और संख्यांकित किया जाना—ऐसी प्रतिलिपियां उक्त पुस्तक में आरम्भ से लेकर उसके अन्त तक क्रमबद्ध रूप में दर्ज की जाएंगी और उन पर उस प्रमाणपत्र का, जो उसकी बनी प्रतिलिपि में हो, संख्यांक और जिस क्रम में विवाह रजिस्ट्रार प्रत्येक प्रमाणपत्र प्राप्त करता है, उस क्रम के अनुसार, उसके द्वारा दर्ज किया जाने वाला संख्यांक, जो उक्त पुस्तक में उक्त प्रतिलिपि की प्रविष्टि की संख्या उपदर्शित करेगा, ये दोनों संख्यांक, डाले जाएंगे ।

36. रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र में प्रविष्टि का संख्यांक डालना और उसे महारजिस्ट्रार को भेजना—विवाह रजिस्ट्रार उस पुस्तक में प्रतिलिपि की प्रविष्टि का उपरोक्त अन्तिम वर्णित संख्यांक भी प्रमाणपत्र पर लिखेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर या आद्यक्षरित करेगा तथा उसे प्रत्येक मास के अन्म में [1][जन्म, मृत्यु और विवाह के महारजिस्ट्रार] को भेज देगा ।

37. भारतीय क्रिश्चियनों के बीच विवाहों का धारा 5 के खंड (1), (2) और (3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा रजिस्ट्रीकरण—जब [2][किसी ऐसे व्यक्ति, पादरी या धर्मपुरोहित द्वारा जो धारा 5 के खण्ड (1), खण्ड (2) या खण्ड (3) में निर्दिष्ट] कोई विवाह [3][भारतीय] क्रिश्चियनों के बीच अनुष्ठापित कराया जाता है तब उसे अनुष्ठापित कराने वाला व्यक्ति, धारा 28 से लेकर धारा 36 तक, जिनके अन्तर्गत दोनों ही धाराएं सम्मिलित हैं, के द्वारा उपबन्धित रीति से कार्यवाही करने के बजाय उस विवाह को एक अलग रजिस्टर पुस्तक में रजिस्टर करेगा, और जब तक वह भर नहीं जाती तब तक उसे अपने पास सुरक्षित रूप से रखेगा, और, यदि वह उस पुस्तक के भर जाने से पूर्व जिसमें उसने वह विवाह अनुष्ठापित कराया था तो वह ही उस जिले को छोड़ देता है उसे उस व्यक्ति को दे जाएगा जो उक्त जिले के उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसका उत्तरवर्ती बनता है ।

रजिस्टर पुस्तक की अभिरक्षा और व्यवस्था—जिस किसी के नियंत्रण में वह पुस्तक उस समय, रहती है, जब वह भर जाती है, तब वह उसे जिले के विवाह रजिस्ट्रार को, या यदि विवाह रजिस्ट्रार एक से अधिक हों तो वरिष्ठ विवाह रजिस्ट्रार को भेज देगा जो उसे [1][जन्म, मृत्यु और विवाह के महारजिस्ट्रार] को, उसके कार्यालय के अभिलेखों के साथ रखे जाने के लिए, भेज देगा ।

---

[1] 1886 के अधिनियम सं० 6 की धारा 30 द्वारा "स्थानीय सरकार के सचिव" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1928 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "इस अधिनियम के भाग 1 या भाग 3 के अधीन" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] विधि अनुकूलन आदेश, आदेश, 1950 द्वारा "देशी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

www.LinkingLaws.com

भाग 5

विवाह रजिस्ट्रार द्वारा या उसकी उपस्थिति में, अनुष्ठापित विवाह

38. आशयित विवाह की विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष सूचना—जब किसी विवाह रजिस्ट्रार द्वारा, या उसकी उपस्थिति में, किसी विवाह का अनुष्ठापन आशयित हो तब, उस विवाह के पक्षकारों में से कोई एक इसे उपाबद्ध अनुसूची 1 में दिए गए प्ररूप में, या उसी आशय की, एक सूचना लिखित रूप में उस जिले के किसी विवाह रजिस्ट्रार को देगा जिसके भीतर पक्षकार रह चुके हैं ;

या, यदि पक्षकार विभिन्न जिलों में रहते हैं तो, वैसी ही सूचना प्रत्येक जिले के विवाह रजिस्ट्रार को देगा ;

और उसमें विवाह का आशय रखने वाले पक्षकारों में से प्रत्येक का नाम और अधिनाम, तथा उसकी वृत्ति या दशा, उनमें से प्रत्येक का निवास-स्थान, वह अवधि जिनके दौरान प्रत्येक वहां रहा है, और वह स्थान जहां विवाह अनुष्ठापित कराया जाता है, लिखेगा :

परन्तु यदि ऐसे पक्षकारों में से कोई भी सूचना में उल्लिखित स्थान पर एक मास से अधिक तक रह चुका है तो उसमें यह लिखा जाना चाहिए कि वह वहां एक मास या उससे अधिक तक रह चुका है या रह चुकी है ।

39. सूचना का प्रकाशन—प्रत्येक विवाह रजिस्ट्रार, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, उसकी एक प्रतिलिपि अपने कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान पर, लगवा देगा ।

जब विवाह का आशय रखने वाले पक्षकारों में से कोई एक अवयस्क है तब प्रत्येक विवाह रजिस्ट्रार, ऐसे विवाह की सूचना, उसके द्वारा प्राप्त होने के पश्चात् चौबीस घंटों के भीतर, उस सूचना की एक प्रति डाक से या अन्य प्रकार से, उसी जिले के अन्य विवाह रजिस्ट्रारों (यदि कोई हों) में से प्रत्येक को भेजेगा जो उस प्रतिलिपि को अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर उसी प्रकार लगवा देगा ।

40. सूचना का फाइल किया जाना और उसकी प्रतिलिपि का विवाह सूचना पुस्तक में दर्ज किया जाना—विवाह रजिस्ट्रार ऐसी सभी सूचनाओं को फाइल करेगा और उन्हें अपने कार्यालय के अभिलेख के साथ रखेगा ;

और ऐसी सभी सूचनाओं की एक सही प्रतिलिपि, उसे उस प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पुस्तक में भी, जिसका नाम "विवाह सूचना पुस्तक" होगा, दर्ज करेगा ।

और विवाह सूचना पुस्तक ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए जो उसका निरीक्षण करना चाहते हैं, बिना किसी फीस के, सभी उचित समयों पर, उपलब्ध रहेगी ।

41. सूचना के प्रमाणपत्र का दिया जाना और शपथ ग्रहण—यदि वह पक्षकार, जिसने सूचना दी थी, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए विवाह रजिस्ट्रार से अनुरोध करता है, और यदि विवाह का आशय रखने वाले पक्षकारों में से एक ने, इसके पश्चात् यथा अपेक्षित शपथ[1] ले ली है तो, विवाह रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि वह सूचना दी गई थी और वह शपथ ली गई थी :

परन्तुक—परन्तु यह तभी जब,—

ऐसा प्रमाणपत्र क्यों न दिया जाए इस बारे में उसका समाधान करने वाली कोई विधिपूर्ण अड़चन दिखाई न गई हो ;

उस प्रमाणपत्र का जारी किया जाना, इस अधिनियम द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, इसमें इसके पश्चात्-वर्णित रीति से, निषिद्ध न कर दिया गया हो ;

सूचना की प्राप्ति के पश्चात् चार दिन बीत गए हों, और यह भी कि ;

जहां ऐसी शपथ से यह प्रतीत होता है कि विवाह का आशय रखने वाले पक्षकारों में से कोई एक अवयस्क है वहां, ऐसी सूचना दर्ज की जाने के पश्चात् चौदह दिन बीत गए हों ।

42. प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व शपथ—धारा 41 में वर्णित प्रमाणपत्र किसी भी विवाह रजिस्ट्रार द्वारा तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक विवाह का आशय रखने वाले पक्षकारों में से, कोई एक उस विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो कर यह शपथ[1] नहीं लेता कि,—

(क) उसका विश्वास है कि उक्त विवाह में रक्त सम्बन्ध या विवाह सम्बन्ध की कोई अड़चन या अन्य विधिपूर्ण बाधा नहीं है, और

(ख) दोनों ही पक्षकारों का, या (यदि वे विभिन्न विवाह रजिस्ट्रारों के जिलों में रहे हैं, तो) ऐसी शपथ लेने वाले पक्षकारों का, प्रायिक निवास-स्थान उस विवाह रजिस्ट्रार के जिले में था या है,

---

[1] "शपथ" के अर्थ के लिए देखिए साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 3 और धारा 4 ।

www.LinkingLaws.com

(ग) और जहां उन पक्षकारों में से कोई एक या दोनों ही अवयस्क हों, वहां, यथास्थिति, उस विवाह के लिए विधि द्वारा अपेक्षित सहमति या सहमतियां प्राप्त कर ली गई हैं या यह कि भारत में निवासी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे ऐसी सहमति देने का प्राधिकार प्राप्त हो ।

43. चौदह दिन से पहले प्रमाणपत्र का आदेश देने के लिए उच्च न्यायालय को याचिका—जब विवाह का आशय रखने वाले पक्षकारों में से कोई एक अवयस्क है और दोनों ही पक्षकार उस समय कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई के नगरों में से किसी एक के निवासी हैं और यथापूर्वोक्त सूचना दर्ज किए जाने के पश्चात् चौदह दिन के भीतर विवाह कर लेने के इच्छुक हैं तब वे उस विवाह रजिस्ट्रार को, जिसे विवाह की सूचना दी गई है, यह आदेश दिए जाने के लिए, कि उसे धारा 41 द्वारा अपेक्षित उक्त चौदह दिनों की समाप्ति से पूर्व अपना प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निदेश दिया जाए, याचिका द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का आवेदन कर सकेंगे ।

याचिका पर आदेश—और पर्याप्त कारण दिखाने पर, उक्त न्यायाधीश, स्वविवेकानुसार, उस विवाह रजिस्ट्रार को, आदेश दे सकेगा जिसमें उसे यह निदेश दिया जाएगा कि वह इस प्रकार अपेक्षित चौदह दिन की समाप्ति से पूर्व किसी समय, जिसका उल्लेख आदेश में किया जाएगा अपना प्रमाणपत्र जारी करे ।

और उक्त विवाह रजिस्ट्रार, उक्त आदेश की प्राप्ति पर, तदनुसार अपना प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

44. पिता या संरक्षक की सहमति—धारा 19 के उपबंध इस भाग के अधीन प्रत्येक विवाह को, जिसके पक्षकारों में से कोई अवयस्क हो, लागू होंगे ।

प्रमाणपत्र जारी करने के विरुद्ध अभ्यापत्ति—और कोई व्यक्ति, जिसकी विवाह के लिए सहमति तद्धीन अपेक्षित है, विवाह रजिस्ट्रार के प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पूर्व किसी भी समय, विवाह सूचना पुस्तक में ऐसे आशयित विवाह की सूचना की प्रविष्टि के सामने "निषेध किया" शब्द लिखकर और उस पर अपने नाम के हस्ताक्षर करके तथा अपने रहने का स्थान लिखकर, तथा पक्षकारों में से किसी के संबंध में अपनी वह स्थिति लिखकर, जिसके कारण वह इस प्रकार प्राधिकृत किया गया है या की गई है, उस प्रमाणपत्र को जारी करने के विरुद्ध अभ्यापत्ति दर्ज कर सकता है ।

अभ्यापत्ति का प्रभाव—जब ऐसी अभ्यापत्ति दर्ज कर ली गई है तब कोई प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक विवाह रजिस्ट्रार अभ्यापत्ति संबंधी मामले की जांच नहीं कर लेता है, और उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि उससे उक्त विवाह का प्रमाणपत्र जारी करने में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, या जब तक वह अभ्यापत्ति उस व्यक्ति द्वारा वापस नहीं ले जाती है, जिसने वह दर्ज की थी ।

45. जहां वह व्यक्ति जिसकी सहमति आवश्यक है, विक्षिप्त है या उसका सहमति न देना अनुचित है, वहां याचिका—यदि कोई व्यक्ति, जिसकी सहमति इस भाग के अधीन किसी विवाह के लिए आवश्यक है, विकृतचित्त है,

या ऐसा कोई व्यक्ति (पिता को छोड़कर) बिना न्यायोचित कारण के, विवाह के लिए अपनी सहमति नहीं देता है,

तो विवाह का आशय रखने वाला पक्षकार, याचिका द्वारा, जहां वह व्यक्ति, जिसकी सहमति आवश्यक है, कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई के नगरों में से किसी में निवासी है वहां उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, या यदि वह उक्त नगरों में से किसी में भी निवासी नहीं है तो जिला न्यायाधीश को, आवेदन कर सकेंगे ।

याचिका पर प्रक्रिया—और, यथास्थिति, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश याचिका के अभिकथनों की संक्षेपत: परीक्षा कर सकेगा ;

और यदि परीक्षा करने पर वह विवाह उचित प्रतीत होता है तो, यथास्थिति, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश उस विवाह को उचित विवाह घोषित करेगा ;

ऐसी घोषणा वैसे ही प्रभावी होगी मानो उस व्यक्ति ने, जिसकी सहमति जरूरी थी, विवाह के लिए सहमति दी थी ;

और यदि उस व्यक्ति ने विवाह रजिस्ट्रार के प्रमाणपत्र जारी करने का निषेध किया है तो वह प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा और विवाह के संबंध में इस भाग के अधीन वैसी ही कार्यवाहियां की जा सकेंगी मानो उस प्रमाणपत्र को जारी करने का निषेध नहीं किया गया था ।

46. प्रमाणपत्र देने से विवाह रजिस्ट्रार द्वारा इंकार करने पर याचिका—जब कभी कोई विवाह रजिस्ट्रार इस भाग के अधीन कोई प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार करता है तब विवाह का आशय रखने वाले पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार, जहां ऐसे रजिस्ट्रार का जिला कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई के नगरों में से किसी नगर में है वहां उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, या यदि वह जिला उक्त नगरों में से किसी में नहीं है तो जिला न्यायाधीश को याचिका द्वारा आवेदन कर सकेगा ।

याचिका पर प्रक्रिया—यथास्थिति, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश याचिका के अभिकथनों की संक्षिप्त: परीक्षा कर सकेगा और उन पर विनिश्चय करेगा ।

यथास्थिति, उच्च न्यायालय के उस न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश का विनिश्चय अन्तिम होगा और वह विवाह रजिस्ट्रार, जिसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए मूलत: आवेदन किया गया था, तद्नुसार कार्यवाही करेगा ।

www.LinkingLaws.com

47. [याचिका जब भारतीय] राज्यों में विवाह रजिस्ट्रार प्रमाणपत्र देने से इंकार करे ।]—विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा निरसित ।

48. निषेध करने वाले व्यक्ति के प्राधिकार पर रजिट्रार के संदेह करने पर याचिका—जब कभी धारा 44 के उपबन्धों के अधीन कार्य करने वाले किसी विवाह रजिस्ट्रार का यह समाधान नहीं होता है कि प्रमाणपत्र जारी करने का निषेध करने वाला व्यक्ति वैसा करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है तब, उक्त विवाह रजिस्ट्रार, जहां उसका जिला कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई नगरों में से किसी नगर में है वहां उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, और यदि वह जिला उक्त नगरों में किसी में नहीं है तो जिला न्यायाधीश को, याचिका द्वारा, आवेदन कर सकेगा ।

याचिका पर प्रक्रिया—उक्त याचिका में मामले की सभी परिस्थितियों का उल्लेख किया जाएगा और उनके सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश ओर निदेश के लिए प्रार्थना की जाएगी,

और, यथास्थिति, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश याचिका के अभिकथनों और मामले की परिस्थितियों की परीक्षा करेगा,

और यदि, ऐसी परीक्षा करने पर, यह प्रतीत होता है कि ऐसे प्रमाणपत्र को जारी करने का निषेध करने वाला व्यक्ति वैसा करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत नहीं है तो, यथास्थिति, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश यह घोषित करेगा कि उस प्रमाणपत्र को जारी करने का निषेध करने वाला व्यक्ति यथापूर्वोक्त प्राधिकृत नहीं है,

और तब ऐसा प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा, और उस विवाह के सम्बन्ध में वैसी ही कार्यवाहियां की जा सकेंगी मानो प्रमाणपत्र जारी करने का निषेध नहीं किया गया था ।

[1]* * * * *

49. प्रमाणपत्र जारी करने के विरुद्ध तुच्छ अभ्यापत्ति के लिए दायित्व—प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के विरुद्ध इस भाग के अधीन विवाह रजिस्ट्रार के पास कोई अभ्यापत्ति उन आधारों पर दर्ज करता है जिन्हें वह रजिस्ट्रार धारा 44 के अधीन, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश धारा 45 या धारा 46 के अधीन तुच्छ और इस प्रकार का घोषित करता है जिससे प्रमाणपत्र के जारी किए जाने में बाधा नहीं होनी चाहिए, प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में सभी कार्यवाहियों के खर्चों और नुकसानी का जिम्मेदार होगा और वे वाद लाकर उस व्यक्ति द्वारा वसूल किए जा सकेंगे, जिसके विवाह के विरुद्ध वह अभ्यापत्ति दर्ज की गई थी ।

50. प्रमाणपत्र का प्ररूप—धारा 41 के उपबन्धों के अधीन विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची 2 में दिए गए प्ररूप में या उसी प्रभाव के प्ररूप में होगा,

और राज्य सरकार प्रत्येक विवाह रजिस्ट्रार को पर्याप्त संख्या में प्रमाणपत्र प्ररूप देगी ।

51. प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बाद विवाह का अनुष्ठापन—विवाह रजिस्ट्रार का प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात्,

या, जहां विभिन्न जिलों के विवाह रजिस्ट्रारों को इस अधिनियम के अधीन सूचना दी जानी अपेक्षित है वहां, उन जिलों के विवाह रजिस्ट्रारों के प्रमाणपत्रों को जारी किए जाने के पश्चात्,

यदि ऐसे प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्रों में वर्णित पक्षकारों के विवाह में कोई विधिपूर्ण अड़चन नहीं है तो उनके बीच विवाह ऐसी रीति या कर्मकांड से अनुष्ठापित कराया जा सकेगा जिन्हें अपनाना वे उचित समझें ।

किन्तु ऐसा प्रत्येक विवाह किसी विवाह रजिस्ट्रार की (जिसे यथापूर्वोक्त प्रमाणपत्र परिदत्त किया जाएगा या किए जाएंगे) और विवाह रजिस्ट्रार के अलावा दो या अधिक विश्वसनीय साक्षियों की उपस्थिति में अनुष्ठापित कराया जाएगा ।

और विवाह कर्म के समय किसी अवसर पर पक्षकारों में से प्रत्येक निम्नलिखित या उसी प्रभाव की घोषणा करेगा,—

"मैं **कख**, निष्ठापूर्वक घोषित करता हूं कि मुझे ऐसी किसी विधिपूर्ण अड़चन की जानकारी नहीं है कि जिसके कारण मैं **घघ**, के साथ विवाह बंधन में न बंध सकूं ।

और पक्षकारों में से प्रत्येक पक्षकार दूसरे से निम्नलिखित या उसी प्रभाव का कथन करेगा :—

"मै इन व्यक्तियों का, जो यहां उपस्थित हैं, इस बात के लिए आह्वान करता हूं कि वे इस बात के साक्षी हों कि मैं **कख** तुम्हें **घघ** को अपनी विधिपूर्ण विवाहिता पत्नी (या अपना विवाहित पति) स्वीकार करता हूं (या करती हूं) ।"

52. जब विवाह, सूचना के पश्चात् दो मास के भीतर नहीं हो जाता तब नई सूचना की आवश्यकता—जब कभी कोई विवाह, धारा 40 की अपेक्षानुसार, विवाह रजिस्ट्रार द्वारा सूचना की प्रतिलिपि दर्ज किए जाने के पश्चात् दो मास के भीतर अनुष्ठापित नहीं कर दिया जाता तब, वह सूचना और उस पर जारी किया गया प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, तथा तत्सम्बन्धी अन्य सभी कार्यवाहियां शून्य हो जाएंगी ;

---

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अंतिम तीन पैराओं का निरसन ।

www.LinkingLaws.com

और कोई व्यक्ति भी उस विवाह के अनुष्ठापन की कार्रवाई नहीं करेगा, और न ही कोई विवाह रजिस्ट्रार उसे तब तक दर्ज करेगा जब तक कि पूर्वोक्त समय पर और रीति से नई सूचना न दे दी गई हो, और प्रविष्टि न कर ली गई हो, और उसका प्रमाणपत्र न दे दिया गया हो ।

53. विवाह रजिस्ट्रार, रजिस्टर किए जाने वाले विवरणों की मांग कर सकेगा—कोई विवाह रजिस्ट्रार, जिसके समक्ष इस भाग के अधीन कोई विवाह अनुष्ठापित कराया जाता है, उन व्यक्तियों से, जिनका विवाह कराया जाना है, उस विवाह के सम्बन्ध में रजिस्टर करने के लिए अपेक्षित विभिन्न विवरणों की मांग कर सकेगा ।

54. भाग 5 के अधीन अनुष्ठापित विवाहों का रजिस्ट्रीकरण—इस भाग के अधीन किसी विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात्, ऐसे अनुष्ठापन के समय उपस्थित विवाह रजिस्ट्रार तत्काल विवाह को दो स्थानों पर, अर्थात् इससे उपाबद्ध अनुसूची 4 में दिए गए प्ररूप के अनुसार रखी गई विवाह रजिस्टर पुस्तक में और विवाह रजिस्टर पुस्तक के प्रतिपर्ण के रूप में संलग्न प्रमाणपत्र में भी, रजिस्टर करेगा ।

प्रमाणपत्र और विवाह रजिस्टर पुस्तक दोनों में ही ऐसे विवाह की प्रविष्टि पर उस व्यक्ति द्वारा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो तो, जिसके द्वारा या जिसके समक्ष विवाह अनुष्ठापित कराया गया है, और उस विवाह में उपस्थित विवाह रजिस्ट्रार द्वारा, चाहे विवाह उसके द्वारा अनुष्ठापित कराया गया हो या नहीं, और विवाहित पक्षकारों द्वारा भी, हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा वह प्रविष्टि विवाह रजिस्ट्रार से और विवाह अनुष्ठापित कराने वाले व्यक्तियों से भिन्न दो विश्वसनीय साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी ।

ऐसी प्रत्येक प्रविष्टि पुस्तक के आरम्भ से लेकर अंत तक क्रमबद्ध रूप में की जाएगी और प्रमाणपत्र का संख्यांक वहा होगा, जो विवाह रजिस्टर पुस्तक में प्रविष्टि का है ।

55. प्रमाणपत्रों का प्रति मास महारजिस्ट्रार को भेजा जाना—विवाह रजिस्ट्रार, प्रमाणपत्र को विवाह रजिस्टर पुस्तक में से तत्काल अलग कर देगा और उसे प्रत्येक मास के अंत में [1][जन्म, मृत्यु और विवाह के महारजिस्ट्रार] को भेजेगा ।

रजिस्टर पुस्तक की अभिरक्षा—विवाह रजिस्ट्रार उक्त रजिस्टर पुस्तक को तब तक सुरक्षित रखेगा जब तक वह भर नहीं जाती और तत्पश्चात् उसे [1][जन्म, मृत्यु और विवाह के महारजिस्ट्रार] को, उसके कार्यालय के अभिलेखों के साथ रखे जाने के लिए, भेज देगा ।

56. [वे अधिकारी जिनको भारतीय राज्यों में रजिस्ट्रार प्रमाणपत्र भेजेंगे ।]—विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निरसित ।

57. रजिस्ट्रारों द्वारा यह अभिनिश्चय कर लेना कि सूचना और प्रमाणपत्र भारतीय क्रिश्चियनों द्वारा समझ लिए गए हैं—जब कोई [2][भारतीय] क्रिश्चियन, जिसका विवाह होने वाला है, विवाह की सूचना देता है, या विवाह रजिस्ट्रार से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है, तब वह विवाह रजिस्ट्रार यह अभिनिश्चित करेगा कि उक्त [2][भारतीय] क्रिश्चियन, अंग्रेजी भाषा समझता है या नहीं, और यदि नहीं समझता है, तो विवाह रजिस्ट्रार, यथास्थिति, उस सूचना या प्रमाणपत्र का, या दोनों का, अनुवाद उस [2][भारतीय] क्रिश्चियन के लिए ऐसी भाषा में जिसे वह समझता है, करेगा या कराएगा ;

या वह विवाह रजिस्ट्रार अन्यथा यह अभिनिश्चित करेगा कि वह [2][भारतीय] क्रिश्चियन उक्त सूचना और प्रमाणपत्र के प्रयोजन और प्रभाव को समझता है या नहीं ।

58. भारतीय क्रिश्चियनों को घोषणा का समझाया जाना—जब किसी [2][भारतीय] क्रिश्चियन का विवाह इस भाग के उपबन्धों के अधीन किया जाता है तब विवाह अनुष्ठापित कराने वाला व्यक्ति यह अभिनिश्चित करेगा कि वह [2][भारतीय] क्रिश्चियन अंग्रेजी भाषा समझता है या नहीं, और यदि नहीं समझता है तो विवाह अनुष्ठापित कराने वाला व्यक्ति उस [2][भारतीय] क्रिश्चियन के लिए, उस विवाह में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की गई घोषणाओं का अनुवाद ऐसी भाषा में, जिसे वह समझता है, विवाह अनुष्ठापन के समय, करेगा या कराएगा ।

59. भारतीय क्रिश्चियनों के बीच विवाहों का रजिस्ट्रीकरण—इस भाग के अधीन [2][भारतीय] क्रिश्चियनों के बीच विवाहों का रजिस्ट्रीकरण धारा 37 में दिए गए नियमों के अनुसार (जहां तक वे लागू होते हों) ही किया जाएगा अन्यथा नहीं ।

भाग 6[3]

[2][भारतीय] क्रिश्चियनों का विवाह

60. भारतीय क्रिश्चियनों के विवाहों को प्रमाणित करने की शर्तें—प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाले [2][भारतीय] क्रिश्चियनों के बीच प्रत्येक विवाह, भाग 3 के अधीन अपेक्षित प्रारम्भिक सूचना के बिना, इस भाग के अधीन उस दशा में प्रमाणित किया जाएगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों, न कि अन्यथा,—

---

[1] 1886 के अधिनियम सं० 6 की धारा 30 द्वारा "स्थानीय सरकार के सचिव" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "देशी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] भाग 6 के अधीन व्यक्तियों, जिनमें केवल एक भारतीय क्रिश्चियन है, के बीच अनुष्ठापित पूर्व विवाहों की विधिमान्यता के बारे में तथा भाग 6 के अधीन भविष्य में इस प्रकार के विवाहों को अनुष्ठापित कराने के लिए शास्ति के बारे में देखिए विवाह विधिमान्यकरण अधिनियम, 1892 (1892 का 2) ।

www.LinkingLaws.com

(1) विवाह का आशय रखने वाले पुरुष की आयु [1][[2][इक्कीस वर्ष] से कम नहीं होगी] और विवाह का आशय रखने वाली स्त्री की आयु [3][[4][अट्ठारह वर्ष] से कम नहीं होगी] ;

(2) विवाह का आशय रखने वाले व्यक्तियों में से किसी की भी पत्नी या पति जीवित नहीं होगा ;

(3) धारा 9 के अधीन अनुज्ञप्त व्यक्ति की, और ऐसे व्यक्ति से भिन्न कम से कम दो विश्वसनीय साक्षियों की उपस्थिति में पक्षकारों में से प्रत्येक पक्षकार दूसरे से निम्नलिखित या उसी आशय का कथन करेगा,—

"मै इन व्यक्तियों का, जो यहां उपस्थित हैं, इस बात के लिए आह्वान करता हूं कि वे इस बात के साक्षी हों कि मैं **क ख,** सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपस्थिति में, और प्रभु जीसस क्राइस्ट के नाम में, तुम्हें **जघ** को अपनी विधिपूर्ण विवाहिता पत्नी (या विवाहित पति), स्वीकार करता हूं (करती हूं)। "

[5]* * * * * * *

61. प्रमाणपत्र का दिया जाना—जब इस भाग के अधीन अनुष्ठापित किसी विवाह के सम्बन्ध में, धारा 60 में विहित शर्तें पूरी कर ली गई हैं तब यथापूर्वोक्त अनुज्ञप्त व्यक्ति, जिसकी उपस्थिति में उक्त घोषणा की गई है, ऐसे विवाह के पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार के आवेदन करने पर, और चार आने फीस का संदाय करने पर विवाह का प्रमाणपत्र दे देगा।

उक्त अनुज्ञप्त व्यक्ति उस प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करेगा, और वह प्रमाणपत्र ऐसे विवाह की विधिमान्यता से सम्बन्धित किसी वाद में इस बात के निश्चायक सबूत के रूप में माना जाएगा कि वह विवाह सम्पन्न हुआ था।

[6]**[62. रजिस्टर पुस्तक का रखा जाना और उसमें से उद्धरणों का महारजिस्ट्रार के पास जमा किया जाना**—(1) धारा 9 के अधीन अनुज्ञप्त प्रत्येक व्यक्ति, अंग्रेजी में, या उस जिले या राज्य में, जिसमें विवाह अनुष्ठापित किया गया था, साधारण प्रयोग की देशी भाषा में तथा ऐसे प्ररूप में, जिसे वह राज्य सरकार, जिसके द्वारा वह व्यक्ति अनुज्ञापित किया गया था, समय-समय पर विहित करे, उसकी उपस्थिति में इस भाग के अधीन अनुष्ठापित सभी विवाहों का एक रजिस्टर रखेगा, और ऐसे प्ररूप में और ऐसे अन्तरालों पर जिन्हें उक्त राज्य सरकार विहित करे, अपने रजिस्टर में से उन सभी प्रविष्टियों के, जो उक्त अन्तरालों में से अन्तिम अन्तराल के पश्चात् उनमें की गई हो, सही-सही और सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित उद्धरण उक्त राज्य सरकार के प्रशासनाधीन राज्यक्षेत्रों के जन्म, मृत्यु और विवाह के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा करेगा।]

[7]* * * * *

63. रजिस्टर पुस्तक में तलाशी और प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां—विवाह के प्रमाणपत्र देने के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 62 के अधीन विवाह रजिस्टर रखता है, सभी उचित समयों पर उस रजिस्टर में तलाश करने देगा, और समुचित फीस का संदाय किए जाने पर, उनमें की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणित करके देगा।

64. वे रजिस्टर, जिसमें भाग 1 या भाग 3 के अधीन भारतीय क्रिश्चियनों के विवाह रजिस्टर किए जाते हैं—रजिस्टर के प्ररूप, उसमें के उद्धरणों को जमा करने, उसमें तलाश करने देने और उसमें की प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां देने के सम्बन्ध में धारा 62 और धारा 63 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, धारा 37 के अधीन रखी गई पुस्तकों को लागू होंगे।

65. भाग 6 का रोमन कैथोलिक को लागू न होना। कुछ विवाहों की व्यावृत्ति—इस अधिनियम का यह भाग, घास 62 और धारा 63 के उन अंशों को छोड़कर जिनका निर्देश धारा 64 में किया गया है रोमन कैथोलिकों के बीच विवाहों को लागू नहीं होगा। किन्तु यहां अन्तर्विष्ट कोई बात 23 फरवरी, 1865 से पूर्व, 1864 के अधिनियम सं० 25 के भाग 5[8] के उपबंधों के अधीन रोमन कैथालिकों के बीच अनुष्ठापित किसी विवाह को अविधिमान्य नहीं करेगी।

भाग 7

शास्तियां

[9]**[66. विवाह उपाप्त करने के लिए मिथ्या शपथ, घोषणा, सूचना या प्रमाणपत्र—**जो कोई विवाह या विवाह की अनुज्ञप्ति उपाप्त करने के प्रयोजनार्थ साशय,—

---

[1] 1952 के अधिनियम सं० 48 की धारा 3 और अुनसूची 2 द्वारा "सोलह वर्ष से अधिक होगी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[2] 1978 के अधिनियम सं० 2 की धारा 6 और अनुसूची द्वारा (1-10-1978 से) "अट्ठारह वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[3] 1952 के अधिनियम सं० 48 की धारा 3 और अुनसूची 2 द्वारा "तेरह वर्ष से अधिक होगी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[4] 1978 के अधिनियम सं० 2 की धारा 6 और अनुसूची द्वरा (1-10-1978 से) "पन्द्रह वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[5] 1978 के अधिनियम सं० 2 की धारा 6 और अनुसूची द्वारा (1-10-1978 से) परन्तुक का लोप किया गया।
[6] 1891 के अधिनियम सं० 2 की धारा 4 द्वारा मूल धारा 62 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[7] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा संशोधित उपधारा (2) का विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा निरसन।
[8] 1865 के अधिनियम सं० 5 का, जिसके द्वारा 1864 का अधिनियम सं० 25 निरसित किया गया था, इस अधिनियम द्वारा निरसित।
[9] 1891 के अधिनियम सं० 2 की धारा 5 द्वारा मूल धारा 66 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

www.LinkingLaws.com

(क) जहां इस अधिनियम द्वारा, या इंग्लैण्ड या स्काटलैण्ड या रोम के किसी ऐसे चर्च के किसी नियम या रूढ़ि द्वारा जिसके धार्मिक कृत्यों और कर्मकांडों के अनुसार कोई शपथ लेना या घोषणा करना अपेक्षित है वहां, मिथ्या शपथ लेगा या मिथ्या घोषणा करेगा, अथवा

(ख) जहां इस अधिनियम द्वारा कोई सूचना या प्रमाणपत्र अपेक्षित है वहां, मिथ्या सूचना या प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेगा,

उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा अपराध किया है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 के अधीन किसी भी प्रकार के ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और, न्यायालय के विवेकानुसार, जुर्माने से, दंडनीय है ।**]**

67. मिथ्या प्रतिरूपण करके विवाह रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने का निषेध—जो कोई अपने को यह व्यपदेशित करते हुए कि वह ऐसा व्यक्ति है, जिसकी विवाह के लिए सहमति विधि द्वारा अपेक्षित है, यह जानते हुए या विश्वास करते हुए कि वह व्यपदेशन मिथ्या है, या इस विश्वास का कारण न रखते हुए कि वह व्यपदेशन सही है, विवाह रजिस्ट्रार द्वारा कोई प्रमाणपत्र जारी किए जाने का निषेध करता है, वह भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 205 में वर्णित अपराध का दोषी समझा जाएगा ।

[1]**[68. सम्यक् प्राधिकार के बिना विवाह का अनुष्ठापन**—जो कोई, विवाहों का अनुष्ठापन कराने के लिए इस अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्राधिकृत न होने पर, उस जिले के, जिसमें विवाह अनुष्ठापन होता है, विवाह रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में, ऐसे व्यक्तियों के बीच विवाह अनुष्ठापित कराएगा या कराने की प्रव्यंजना करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या (सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास के दंडादेश के बदले में) निर्वासन से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की, और दस वर्ष से अधिक की, नही होगी, दंडित किया जाएगा,

[2]* * * * * * *

और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।]

69. उचित समय के बाद या साक्षियों के बिना विवाह का अनुष्ठापन—जो कोई ऐसे व्यक्तियों के बीच, जिनमें से कोई एक या दोनों ही क्रिश्चियन हों, प्रात:काल छह बजे से लेकर सांय:काल सात बजे के समय से भिन्न किसी समय, या विवाह अनुष्ठापित कराने वाले व्यक्ति से भिन्न कम से कम दो विश्वसनीय साक्षियों की अनुपस्थिति में, कोई विवाह जानते हुए, और जानबूझकर अनुष्ठापित कराएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

विशेष अनुज्ञप्ति के अधीन अनुष्ठापित विवाहों की व्यावृत्ति—यह धारा डायोसीस के ऐंगलिकन बिशप द्वारा या उसके मीसरी द्वारा दी गई विशेष अनुज्ञप्तियों के अधीन अनुष्ठापित विवाहों को लागू नहीं होगी, और न ही रोम के चर्च के पादरी द्वारा, जब उसे धारा 10 में वर्णित साधारण या विशेष अनुज्ञप्ति उस निमित्त प्राप्त हो गई हो, सांय:काल सात बजे और प्रात:काल छह बजे के बीच सम्पन्न विवाहों को लागू होगी ।

[3][और न ही यह धारा स्काटलैंड के चर्च के नियमों, धार्मिक कृत्यों एवं कर्मकांडों और रूढ़ियों के अनुसार स्काटलैंड के चर्च के किसी पादरी द्वारा अनुष्ठापित विवाहों को लागू होगी ।]

70. सूचना के बिना, या सूचना के पश्चात् चौदह दिनों के भीतर, अवयस्क के साथ विवाह का अनुष्ठापन—इस अधिनियम के अधीन विवाहों का अनुष्ठापन कराने के लिए अनुज्ञप्त कोई धर्म-पुरोहित जो लिखित सूचना के बिना, या जब विवाह के पक्षकारों में से कोई एक अवयस्क हो और ऐसे विवाह के लिए माता-पिता या संरक्षक की अपेक्षित सहमति प्राप्त न कर ली गई हो तब, अपने द्वारा ऐसे विवाह की सूचना की प्राप्ति के पश्चात् चौदह दिन के भीतर, भाग 3 के अधीन कोई विवाह जानते हुए और जानबूझ कर अनुष्ठापित कराएंगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

71. प्रमाणपत्र का जारी करना या सूचना के प्रकाशन के बिना विवाह कराना—इस अधिनियम के अधीन कोई भी विवाह रजिस्ट्रार, जो निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा,—

(1) इस अधिनियम द्वारा जैसा निदिष्ट है उसके अनुसार विवाह की सूचना प्रकाशित किए बिना, जानते हुए और जानबूझकर, विवाह का कोई प्रमाणपत्र जारी करेगा या विवाह अनुष्ठापित कराएगा ;

[4]**[**(2) **सूचना की समाप्ति के पश्चात् विवाह कराना**—धारा 40 की अपेक्षानुसार किसी विवाह के सम्बन्ध में सूचना की प्रतिलिपि दर्ज किए जाने के पश्चात् दो मास की समाप्ति के बाद ऐसा विवाह अनुष्ठापित कराएगा ;]

(3) **न्यायालय के प्राधिकार के बिना या सूचना की प्रति भेजे बिना अवयस्क के साथ विवाह का अनुष्ठापन चौदह दिन के भीतर कराना**—जब पक्षकारों में से कोई एक अवयस्क हो तब, विवाह की सूचना की प्राप्ति के पश्चात् चौदह दिन की समाप्ति से पूर्व या ऐसी सूचना की एक प्रति जिले के वरिष्ठ विवाह रजिस्ट्रार को, यदि उस जिले में एक से अधिक विवाह

---

[1] 1891 के अधिनियम सं० 2 की धारा 6 द्वारा मूल धारा 68 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1891 के अधिनियम सं० 12 द्वारा 3 द्वारा संशोधित दूसरा पैरा विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा निरसित ।

[3] 1891 के अधिनियम सं० 2 की धारा 7 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[4] 1891 के अधिनियम सं० 2 की धारा 8 द्वारा मूल खंड (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

www.LinkingLaws.com

रजिस्ट्रार हों और यदि वह स्वयं ज्येष्ठ विवाह रजिस्ट्रार न हो तो डाक से या अन्य प्रकार से भेजे बिना कोई विवाह, किसी सक्षम न्यायालय के ऐसे आदेश के बिना जो उसे उसके लिए प्राधिकृत करता हो, अनुष्ठापित कराएगा ;

(4) **प्राधिकृत प्रतिषेध के विरुद्ध प्रमाणपत्र जारी करना**—ऐसा कोई प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसका जारी किया जाना, इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके अनुसार, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिया गया है, जो उसका जारी किया जाना प्रतिषिद्ध कर सकता है,

वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

72. सूचना के अवसान के पश्चात् या अवयस्क की दशा में, सूचना के पश्चात् चौदह दिन के भीतर, या प्राधिकृत प्रतिषेध के विरुद्ध, प्रमाणपत्र जारी करना—ऐसे विवाह रजिस्ट्रार के बारे में, जो अपने द्वारा यथापूर्वोक्त सूचना के दर्ज करने के पश्चात् [1][दो मास] के अवसान के बाद, जानते हुए और जानबूझकर विवाह का कोई प्रमाणपत्र जारी करता है,

या जहां विवाह का आशय रखने वा ले पक्षकारों में से एक अवयस्क है वहां, ऐसी सूचना दर्ज किए जाने के पश्चात् चौदह दिन के अवसान के पूर्व, विवाह का कोई प्रमाणपत्र ऐसे सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना, जो उसे ऐसा करने के लिए प्राधिकृत करता है, या कोई ऐसा प्रमाणपत्र, जानते हुए और जानबूझकर जारी करेगा जिसका जारी किया जाना इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथापूर्वोक्त निषिद्ध कर दिया गया है,

यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 166 के अधीन अपराध किया है ।

73. विवाह अनुष्ठापित कराने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति (जो इंग्लैण्ड, स्काटलैण्ड या रोम के चर्चों के पादरियों से भिन्न हों)—जो कोई, जिसे इस अधिनियम के अधीन विवाह अनुष्ठापित कराने का प्राधिकार प्राप्त है,

इंग्लैंड के चर्च का पादरी न होते हुए, विवाह घोषणा के सम्यक् प्रकाशन के पश्चात् या डायोसीस के ऐंगलिंकन बिशप से या उस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत धर्माध्यक्ष के प्रतिनिधि से प्राप्त अनुज्ञप्ति के अधीन विवाह अनुष्ठापित कराएगा,

या स्काटलैंड के चर्च का पादरी न होते हुए, उस चर्च के नियमों, धार्मिक कृत्यों, कर्मकांडों और रूढ़ियों के अनुसार, कोई विवाह अनुष्ठापित कराएगा,

या रोम के चर्च का पादरी न होते हुए, उस चर्च के धार्मिक कृत्यों, नियमों, कर्मकांडों और रूढ़ियों के अनुसार कोई विवाह अनुष्ठापित कराएगा,

प्रमाणपत्र का जारी किया जाना, या सूचना प्रकाशित किए बिना या प्रमाणपत्र के अवसान के पश्चात्, विवाह कराना—या जानते हुए और जानबूझकर इस अधिनियम के अधीन विवाह का कोई प्रमाणपत्र जारी करेगा या इस अधिनियम के भाग 3 के निदेशानुसार ऐसे विवाह की सूचना प्रकाशित किए बिना या लगवाए बिना, अथवा उसके द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बाद दो मास की समाप्ति के पश्चात् यथा पूर्वोक्त, व्यक्तियों के बीच कोई विवाह अनुष्ठापित कराएगा,

प्रमाणपत्र जारी करना या सूचना के बाद चौदह दिन के भीतर अवयस्क के साथ विवाह अनुष्ठापित कराना—या जानते हुए और जानबूझकर विवाह का कोई प्रमाणपत्र जारी करेगा, या ऐसे व्यक्तियों के बीच जब विवाह का आशय रखने वाले व्यक्तियों में से एक अवयस्क हो तब, ऐसे विवाह की सूचना की प्राप्ति के पश्चात् चौदह दिन की समाप्ति से पूर्व, या ऐसी सूचना की एक प्रति डाक से या अन्य प्रकार से विवाह रजिस्ट्रार को, अथवा यदि विवाह रजिस्ट्रार एक से अधिक हों तो उस जिले के वरिष्ठ विवाह रजिस्ट्रार को भेजे बिना कोई विवाह अनुष्ठापित कराएगा,

प्राधिकारेण निषिद्ध प्रमाणपत्र जारी करना—या जानते हुए और जानबूझकर ऐसा प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिसका जारी किया जाना उसे जारी करने का निषेध करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन निषिद्ध किया गया है,

प्राधिकारेण निषिद्ध विवाह का अनुष्ठापन—या जानते हुए और जानबूझकर ऐसा विवाह अनुष्ठापित कराएगा, जो उसका निषेध करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निषिद्ध कर दिया गया है,

वह कारावास से, जिसकी अवधि चार वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

74. अनुज्ञप्त होने का अपदेश करते हुए अनुज्ञप्त व्यक्ति द्वारा प्रमाणपत्र का दिया जाना—जो कोई, इस अधिनियम के भाग 6 के अधीन विवाह का प्रमाणपत्र देने के लिए अनुज्ञप्त न होते हुए, ऐसा प्रमाणपत्र देगा, जिसका आशय यह प्रतीत कराना हो कि वह इस प्रकार अनुज्ञप्त है, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

[2][जो कोई, इस अधिनियम के भाग 6 के अधीन विवाह का प्रमाणपत्र देने के लिए अनुज्ञप्त होते हुए, उस भाग द्वारा उस पर अधिरोपित किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने से, न्यायोचित कारण के बिना, इंकार करेगा, या पालन करने में जानबूझकर उपेक्षा या लोप करेगा, वह जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।]

---

[1] 1891 के अधिनियम सं० 2 की धारा 8 द्वारा "तीन मास" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1891 के अधिनियम सं० 2 की धारा 9 द्वारा अन्त:स्थापित ।

www.LinkingLaws.com

75. रजिस्टर पुस्तकों का नष्ट करना या उनका मिथ्याकरण—जो कोई किसी रजिस्टर या उसके प्रतिपर्ण प्रमाणपत्रों को या उनके किसी भाग को, या उनमें के किसी अधिप्रमाणित उद्धरण को, स्वयं या किसी अन्य के द्वारा जानबूझकर नष्ट करेगा या क्षति पहुंचाएगा,

या रजिस्टर या प्रतिपर्ण प्रमाणपत्रों के किसी भाग को नकली बनाएगा या उसका कूटकरण करेगा,

या ऐसे किसी रजिस्टर या प्रतिपर्ण प्रमाणपत्र या अधिप्रमाणित उद्धरण में जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

76. अधिनियम के अधीन अभियोजनों की परिसीमा—इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध का अभियोजन, अपराध किए जाने के पश्चात् दो वर्ष के भीतर, प्रारम्भ किया जाएगा ।

भाग 8

प्रकीर्ण

77. वे विषय, जिन्हें अधिनियम के अनुसार हुए विवाह के लिए साबित करने की जरूरत नहीं है—जब कभी धारा 4 और धारा 5 के उपबन्धों के अनुसार कोई विवाह अनुष्ठापित किया गया हो तब वह, निम्नलिखित किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में हुई किसी अनियमितता के कारण ही शून्य नहीं होगा, अर्थात् :—

(1) विवाहित व्यक्तियों के निवास, या ऐसे व्यक्ति को जिसकी, उस विवाह के लिए सहमति विधि द्वारा अपेक्षित है, सहमति के सम्बन्ध में किया गया कोई कथन ;

(2) विवाह की सूचना ;

(3) प्रमाणपत्र या उसका अनुवाद ;

(4) वह समय और स्थान जब और जहां विवाह अनुष्ठापित किया गया है ;

(5) विवाह का रजिस्ट्रीकरण ।

78. गलतियों का शोधन—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे कोई विवाह रजिस्टर करने का कर्तव्य सौंपा गया है, और जिसे किसी प्रविष्टि के स्वरूप या सार में किसी गलती का पता चलता है, ऐसी गलती का पता चलने के पश्चात् अगले एक मास के भीतर, उस गलती का शोधन, विवाहित व्यक्तियों की उपस्थिति में, या यदि उनकी मृत्यु हो गई है या वे अनुपस्थित हैं तो दो अन्य विश्वसनीय साक्षियों की उपस्थिति में, मूल प्रविष्टि में कोई परिवर्तन किए बिना, हाशिए में प्रविष्टि करके कर सकेगा, और हाशिए की प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करेगा और ऐसे शोधन की तारीख डालेगा, और वही व्यक्ति उसके प्रमाणपत्र के हाशिए पर वैसी ही प्रविष्टि करेगा ;

और इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक प्रविष्टि उन साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी जिनकी उपस्थिति में वह की गई थी ;

और यदि ऐसा प्रमाणपत्र [1][जन्म, मृत्यु और विवाह के महारजिस्ट्रार] को पहले ही भेजा जा चुका है तो वह व्यक्ति गलती वाली मूल प्रविष्टि का, और उसमें हाशिए पर किए गए शोधन का, एक अलग प्रमाणपत्र उसी प्रकार तैयार करेगा और भेजेगा ।

79. प्रविष्टियों की तलाश और उनकी प्रतिलिपियां—प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन विवाह का अनुष्ठापन कराता है, और जिससे उस विवाह को रजिस्टर करना इसके द्वारा अपेक्षित है ;

और प्रत्येक विवाह रजिस्ट्रार या [2][जन्म, मृत्यु और विवाह का महारजिस्ट्रार], जिसकी अभिरक्षा में इस अधिनियम के अधीन उस समय कोई विवाह रजिस्टर, या कोई प्रमाणपत्र या द्विप्रतिक, या प्रमाणपत्र की प्रतिलिपियां हों,

उचित फीस का संदाय करने पर, उस रजिस्टर में या उस प्रमाणपत्र, या द्विप्रतिक या प्रतिलिपियों के लिए, सभी उपयुक्त समयों पर, तलाश करने देगा, और उसमें की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि अपने हस्ताक्षर से देगा ।

80. विवाह रजिस्टर, आदि में प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति का साक्ष्य होना—किसी ऐसे रजिस्टर में किसी विवाह की, जिसका रखा जाना, या किसी ऐसे प्रमाणपत्र, या द्विप्रतिक की, जिसका परिदत्त किया जाना, इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित है, प्रत्येक प्रमाणित प्रति, जिसका ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है जिसे ऐसे रजिस्टर, या प्रमाणपत्र, या द्विप्रतिक की इस अधिनियम के अधीन अभिरक्षा सौंपी गई है ऐसे विवाह के, जिसका इस प्रकार प्रविष्ट किया जाना तात्पर्यित है, या उन तथ्यों के, जिनका उसमें इस प्रकार प्रमाणित होना तात्पर्यित है, साक्ष्य के रूप में, क्रमश: उस रजिस्टर या प्रमाणपत्र, या द्विप्रतिक या उनमें की किसी प्रविष्टि के, या ऐसी प्रतिलिपि के और सबूत के बिना, ग्रहण की जाएगी ।

---

[1] 1891 के अधिनियम सं० 2 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1886 के अधिनियम सं० 6 की धारा 30 द्वारा "किसी स्थानीय सरकार का सचिव" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

www.LinkingLaws.com

[1]**[81. कुछ विवाहों के प्रमाणपत्रों का केन्द्रीय सरकार को भेजा जाना**—जन्म, मृत्यु और विवाह का महारजिस्ट्रार [2]*** प्रतिवर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान [3][उसे] भेजे गए विवाह प्रमाणपत्रों में से, उस तिमाही की समाप्ति पर उन प्रमाणपत्रों को छांट लेगा, जिनके विवाह के साक्ष्य के लिए [4][वह सरकार, जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया गया था,] यह चाहे कि वह साक्ष्य इंग्लैंड भेज दिया जाए, और उन प्रमाणपत्रों को, [3][अपने] हस्ताक्षर करके, [5][केन्द्रीय सरकार] को भेज देगा ।

82. राज्य सरकार द्वारा फीस विहित करना—इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित के लिए फीस प्रभार्य होगी,—

विवाहों की सूचनाएं प्राप्त करने और उनके प्रकाशन के लिए ;

विवाह रजिस्ट्रारों द्वारा [6][विवाह के प्रमाणपत्र] जारी करने और उसके द्वारा विवाहों को रजिस्टर करने के लिए ;

उक्त रजिस्ट्रारों द्वारा [7][विवाह के प्रमाणपत्रों] को जारी करने के विरुद्ध अभ्यापत्तियों या प्रतिषेधों को दर्ज करने के लिए ;

रजिस्टर या प्रमाणपत्रों या, उनकी द्विप्रतिकों या प्रतिलिपियों की तलाश के लिए; धारा 63 और धारा 79 के अधीन उनमें की प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां देने के लिए ;

राज्य सरकार क्रमश: ऐसी फीस की रकम नियत करेगी ;

और उसमें साधारणतया या विशेष मामलों में, जैसा भी उसे ठीक प्रतीत हो, समय-समय पर परिवर्तन कर सकेगी या उनमें छूट दे सकेगी ।

83. नियम बनाने की शक्ति—[8]**[**(1)**]** राज्य सरकार, धारा 82 में वर्णित फीस के व्ययन, रजिस्टर के प्रदाय, तथा इस अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित विवाहों की विवरणियां तैयार करने और भेजने के संबंध में [9][राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी**]** ।

[10]**[**(2) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।**]** ।

84. [भारतीय राज्यों के लिए फीसें और नियम विहित करने की शक्ति ।]—विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा निरसित ।

85. जिला न्यायाधीश घोषित करने की शक्ति—राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि किसी ऐसे स्थान में, जहां यह अधिनियम लागू होता है, जिला न्यायाधीश कौन समझा जाएगा ।

86. [11][भारतीय राज्यों के संबंध में प्रयोज्य शक्तियां और कृत्य ।]—विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा निरसित ।

87. कौन्सलीय विवाहों की व्यावृत्ति—इस अधिनियम की कोई बात किसी मिनिस्टर, कौंसल, या कौंसलीय अभिकर्ता द्वारा, उस राज्य के, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, प्रयोजनों के बीच उस राज्य की विधियों के अनुसार संपन्न कराए गए विवाह को लागू नहीं होगी ।

88. प्रतिषिद्ध कोटियों के भीतर विवाहों का अविधिमान्य होना—इस अधिनियम की किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे विवाह को विधिमान्य करती है जिसे संपन्न करने के लिए पक्षकारों में से किसी को लागू कोई स्वीय विधि उसे निषिद्ध करती है ।

अनुसूची 1

(धारा 12 और धारा 38 देखिए)

विवाह की सूचना

सेवा में,

.....का पुरोहित (या रजिस्ट्रार)

---

[1] 1911 के अधिनियम सं० 13 की धारा 2 द्वारा मूल धारा 81 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1952 के अधिनियम सं० 48 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा "और धारा 56 के अधीन नियुक्त अधिकारी" शब्द और अंक निरसित किए गए ।

[3] 1952 के अधिनियम सं० 48 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा "क्रमश: उनको" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गर्वनर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा "भारत के राज्य सचिव" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1903 के अधिनियम सं० 1 की धारा 3 और अनुसूची 2, भाग 2 द्वारा "विवाहों के प्रमाणपत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] 1903 के अधिनियम सं० 1 की धारा 3 और अनुसूची 2, भाग 2 द्वारा "विवाह प्रमाणपत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] 1983 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-3-1984 से) धारा 83 को उपधारा (1) के रूप में पुनसंख्यांकित किया गया ।

[9] 1983 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-3-1984 से) प्रतिस्थापित ।

[10] 1983 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-3-1984 से) अन्त:स्थापित ।

[11] 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

www.LinkingLaws.com

मैं आपको यह सूचित करता हूं कि, आज की तारीख से तीन कैलेण्डर मास के भीतर मेरे तथा उस अन्य पक्षकार के बीच, जिसका नाम और विवरण यहां दिया गया है, विवाह करना आशित है, (अर्थात्) :—

मार्था ग्रीन	**जैम्स स्मिथ**	नाम
अविवाहित	**विधुर**	दशा
—	**बढ़ई**	रैंक या वृत्ति
अवयस्क	**वयस्क**	आयु
20, हैस्टिंग्स	**16, क्लाइव स्ट्रीट**	निवास स्थान
एक मास के अधिक	**23 दिन**	निवास की अवधि
फ्री चर्च आफ स्काटलैण्ड चर्च, कलकत्ता		यह चर्च, चैपल या उपासना स्थल जहां विवाह अनुष्ठापित किया जाना है
		जब दोनों पक्षकार विभिन्न जिलों में रहते हों तब वह जिला जिसमें दूसरा पक्षकार निवास करता है

इसके साक्ष्य स्वरूप मैंने आज 19……की/के.....के.....दिन हस्ताक्षर किए

हस्ताक्षरित (जैम्स स्मिथ)

[इस अनुसूची में मोटे अक्षरों में दिए गए शब्दों को, यथास्थिति, भरा जाना है और उसका खाली भाग तभी भरा जाना है जब पक्षकारों में से कोई एक किसी अन्य जिले में रहता हो]।

अनुसूची 2

(धारा 24 और धारा 50 देखिए)

सूचना की प्राप्ति का प्रमाणपत्र

मैं.....इसके द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि उन पक्षकारों के बीच, जिनका सूचना में नाम और विवरण दिया गया है, आशयित विवाह को मेरी विवाह सूचना पुस्तक में.....के.....के.....दिन को सम्यक् रूप से दर्ज किया गया था, और यह सूचना (वर्ष) (मास)

.....के हस्ताक्षर से, जो पक्षकारों में से एक है, दी गई थी, (अर्थात्) :—

मार्था ग्रीन	**जेम्स स्मिथ**	नाम
अविवाहित	**विधुर**	दशा
—	**बढ़ई**	रैंक या वृत्ति
अवयस्क	**वयस्क**	आयु
20, हैस्टिंग्स स्ट्रीट	**16, क्लाइव स्ट्रीट**	निवास स्थान
एक मास के अधिक	**23 दिन**	निवास की अवधि
फ्री चर्च आफ स्काटलैण्ड चर्च, कलकत्ता		वह चर्च, चैपल या उपासना स्थल जहां विवाह अनुष्ठापित किया जाना है
		जब दोनों पक्षकार विभिन्न जिलों में रहते हों, तब वह जिला जिसमें दूसरा पक्षकार निवास करता है

www.LinkingLaws.com

और यह कि भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का 15) की धारा 17 या धारा 41 द्वारा अपेक्षित घोषणा उक्त (जैम्स स्मिथ) द्वारा सम्यक् रूप से की गई है [1][या शपथ] ली गई है ।

सूचना दर्ज करने की तारीख } इस प्रमाणपत्र का जारी किया जाना ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं किया
प्रमाणपत्र दिए जने की तारीख } गया है जो उसके जारी किए जाने का निषेध करने के लिए प्राधिकृत था ।

इसके साक्ष्य स्वरूप मैंने आज 72.....की/के..... के.....दिन हस्ताक्षर किए ।

(हस्ताक्षरित)

यदि विवाह.....के.....के.....दिन अनुष्ठापित नहीं हो जाता तो यह प्रमाणपत्र शून्य हो जाएगा ।

[इस अनुसूची में मोटे अक्षरों में दिए गए शब्दों को, यथास्थिति, भरा जाना है और उसका खाली भाग तभी भरा जाना है जब पक्षकारों में से कोई एक किसी अन्य जिले में रहता हो ।]

अनुसूची 3

[2][(धारा 28 और धारा 31 देखिए)]

विवाहों के रजिस्टर का प्ररूप

.....के लिए विवाहों की तिमाही विवरणियां

कलकत्ता मद्रास मुम्बई } —	की आर्चडिकनरी

मैं....., कलकत्ता/मद्रास/मुम्बई की आर्चडिकनरी का रजिस्ट्रार इसके द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि उपाबद्ध कगजपत्र.....की आर्चडिकनरी, कलकत्ता/मद्रास/मुम्बई में विवाह के मूल पत्रों और शासकीय तिमाही विवरणियों की, जो.....ईस्वी सन् के.....के.....दिन की प्रारम्भ हो कर.....दिन को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए मुझे भेजी गई थीं, ठीक-ठीक और शुद्ध प्रतिलिपियां हैं ।

[रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर**]**
कलकत्ता/मद्रास/मुम्बई
की आर्चडिकनरी का
रजिस्ट्रार

[1] 1903 के अधिनियम सं० 1 की धारा 3 और अनुसूची 2, भाग 2 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[2] 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 और अनुसूची 2 द्वारा "(धारा 28 देखिए)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

www.LinkingLaws.com

इलाहबाद/बैरकपुर/बरेली/कलकत्ता, आदि-आदि में अनुष्ठापित विवाह

	वर्ष	विवाह कब हुआ
	मास	
	दिन	
	क्रिश्चियन नाम	पक्षकारों के नाम
	अधिनाम	
	आयु	
	दशा	
	रैंक या वृत्ति	
	विवाह के समय निवास-स्थान	
	पिता का नाम और अधिनाम	
	विवाह घोषणा द्वारा हुआ या अनुज्ञप्ति द्वारा	
	पक्षकारों के हस्ताक्षर	
	दो या अधिक साक्षियों के, जो उपस्थित हों, हस्ताक्षर	
	विवाह अनुष्ठापित कराने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर	

अनुसूची 4

(धारा 32 और धारा 54 देखिए)

विवाह रजिस्टर पुस्तक

संख्यांक	विवाह कब हुआ			पक्षकारों के नाम		आयु	दशा	रैंक या वृत्ति	विवाह के समय निवास-स्थान	पिता का नाम और अधिनाम
				क्रिश्चियन नाम	अधिनाम					
	दिन	मास	वर्ष							
				जेम्स	व्हाइट	26 वर्ष	विधुर	बढ़ई	आगरा	विलियम व्हाइट
				मार्था	डंकन	17 वर्ष	अविवाहित	—	आगरा	जान डंकन

.....में विवाहित

यह विवाह हम लोगों {जैम्स व्हाइट / मार्था डंकन} के बीच {जान स्मिथ / जान ग्रीन} की उपस्थित में अनुष्ठापित हुआ।

www.LinkingLaws.com

विवाह का प्रमाणपत्र

संख्यांक	विवाह कब हुआ			पक्षकारों के नाम		आयु	दशा	रैंक या वृत्ति	विवाह के समय निवास-स्थान	पिता का नाम और अधिनाम
				क्रिश्चियन नाम	अधिनाम					
1.	दिन	मास	वर्ष							
				जैम्स मार्था	व्हाइट डंकन	26 वर्ष 17 वर्ष	विधुर अविवाहित	बढ़ई —	आगरा आगरा	विलियम व्हाइट जान डंकन

.....में विवाहित

यह विवाह हम लोगों {जिस व्हाइट / मार्था इंकन} के बीच {जान स्मिथ / जान ग्रीन} की उपस्थित में अनुष्ठापित हुआ।

अनुसूची 5—[अधिनियमितियां निरसित।]—निरसन अधिनियम, की धारा 1938 (1938 का 1) की धारा 2 तथा अनुसूची के भाग 1 द्वारा निरसित।

www.LinkingLaws.com